ग्राम पंचायत,बल्देयाँ, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

पैरा–1. प्रस्तावना {क} :–ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बल्देयाँ विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति पूनम कश्यप	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री विक्रम सिंह	23.1.16 से 31.3.16

सचिव :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री इन्द्र सिहं	1.4.13 से 30.5.13
2	श्री धर्म प्रकाश शर्मा	1.6.13 से 31.3.16

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :– ग्राम पंचायत बल्देयाँ के लेखाओ अवधि 4/13 से 3/16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {लाखों में}
1	**5**	रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	**0.46**
2	**9**	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.33**
3	**10**	अनुदान राशि का उपयोग न करना	**2.90**
4	**11**	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टाक स्टोर का क्रय करना	**0.96**
5	**14.2**	माह 9/15 के व्यय वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	**1.05**

भाग–दो

पैरा–2 वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत बल्देयाँ विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री राम सिहं चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 30.5.2016 से 4.4.2016 तक ग्राम पंचायत, बल्देयॉ के कार्यालय में किया गया। आय व व्यय के लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु क्रमशः माह 2/14, 3/15, 3/16 व 6/13, 1/15, 9/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नही होगा।

पैरा–3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बल्देयाँ विकास खण्ड मशोबरा जिला शिमला के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹ 6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹ 6000 को रेखांकित बैंक ड्राफट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 1 दिनांक 4.6.16 द्वारा सचिव, पंचायत बल्देयाँ से अनुरोध किया गया।

पैरा–4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत बल्देयाँ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :–

{1} स्व स्त्रोत :–ग्राम पंचायत बल्देयाँ के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोतों **(खाता "क")** की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	774693.66	294133	**1068826.66**	153752	**915074.66**
2014–15	915074.66	189500	**1104574.66**	72717	**1031857.66**
2015–16	**1031857.66**	194062	**1225919.66**	130195	**1095724.66**

नोटः– उक्त अथशेष में दर्शाई गई राशि में अन्य विविध अनुदान की राशि भी सम्मिलित है।

{2} **अनुदानः**—ग्राम पंचायत बल्देयाँ के अवधि 4/13 से 3/16के अनुदानों की वित्तीय स्थिति **(खाता ''ख'')** का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **''परिशिष्ट —1''** पर संलग्न हैः—

अन्य विविध अनुदानः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	———	2764928	**2764928**	2240848	**524080**
2014—15	524080	3031132	**3555212**	2381405	**1173807**
2015—16	1173807	3040899	**4214706**	4022867	**191839**

मनरेगाः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	348608	2370136	2718744	2607533	111211
2014—15	111211	1297836	1409047	1408841	206
29015—16	206	516370	516576	516331	245

पैरा 5 :— बैक समाधान विवरणी :—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत, बल्देयाँ द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹ 46109.00 का अन्तर था ।

क्रम सं0	खाता	अन्तशेष
	रोकड वही की वित्तीय स्थिति के अनुसार	
1	रोकड वही के अनुसार खाता ''क''—पैरा 4(1)	1095724.66
2	रोकड वही के अनुसार खाता ''ख''—पैरा 4(2) (191839+245)	192084.00
	कुल योग	**1287808.66**

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः—

	विवरण	बैंक	खाता	राशि
1	पंचायत निधि +विविध अनुदान	हि0प्र0 रा0 सहकारी बैंक, सुन्नी	5721	1103260.66
2	—यथोपरि	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बल्देयाँ	6151	229070
3	मनरेगा	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, बल्देयाँ	6059	1587
		कुल योग (ख)		**1333917.66**
रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क—ख)				**46109.00**

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

पैरा 5.1 :– रोकड वही का बैंक खातों से मिलान न करना :–

ग्राम पंचायत बल्देयाँकी रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड वही व बैंक खातों का मिलान नही किया गया था, जबकि हि0 प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3)व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा–6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना:–

पैरा 6.1 रोकड वही का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

ग्राम पंचायत बल्देयाँ की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(1से 3)की रोकड़ बही के निर्माण में पूर्ण अवहेलना की गई थी। ग्राम पंचायत बल्देयॉ ंके लेखों की पड़ताल में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम के विरूद्व की जा रही निम्न विसंगतियां पाई गई :–

पैरा 6.1(क):–पंचायत द्वारा स्व स्त्रोत और समस्त प्रकार के अनुदानों हेतु एक रोकड़ बही का रख रखाव किया गया है तथा मनरेगा हेतु एक अलग रोकड वही का निर्माण किया गया है जो कि नियम के विरूद्व है । अतः नियमों के विरूद्व दो रोकड वहियों के निर्माण करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इसबारे नियमानुसार एक ही रोकड वही का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए ।

पैरा 6.1(ख) लैजर खातों का रख रखाव न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में क्रियान्वित समस्त योजनाओं के लिए फार्म 7 में लैजर खातों का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत बल्देयाँ द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी। प्रत्येक योजना के लिए अलग लैजर बनाए जाने से किसी भी समय योजना विशेष की वित्तीय स्थिति तथा उस योजना के अन्तशेष की जानकारी उपलब्ध हो सकती है । परन्तु लैजरों का निर्माण न करने से इस नियम की अवहेलना की

गई। अतः नियमों के विरूद्व अपनाई गई इस कार्य विधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए ।

पैरा 6.2:—नियमों के विरूद्व तीन बैंक बचत खातों का खोला जाना:—

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है । जिसमें से खाता ''क'' में पंचायत के स्वयं संसाघनों से प्राप्त आय तथा खाता **''ख''** में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु ग्राम पंचायत बल्देयाँ में दो के स्थान पर गत पैरा 4(1) में वर्णित तीन बैंक बचत खाते खोले गए हैं । अतः नियमों के विरूद्व खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

पैरा 7 निवेश:—

सचिव ग्राम पंचायत, बल्देयाँ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत निधि में से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी ।

पैरा 8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवाया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा—9 पंचायत राजस्व ₹0.33 लाख का वसूली हेतु शेष:—

सचिव, ग्राम पंचायत, बल्देयाँ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट—2 व 3)** तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व **₹ 33080** की वसूली शेष थी।

1 गृहकर :

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2013—14	———	20800	20800	16640	4160
2014—15	4160	20800	24960	16680	8280

2015—16	8280	20800	29080	————	**29080**

2 मोबाईल टावरः

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2013—14	4000	6000	10000	6000	4000
2014—15	4000	6000	10000	6000	4000
2015—16	4000	6000	10000	6000	4000
		कुल योग (1+2)			**33080**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

पैरा—10 तेहरवें वित्तायोग से प्राप्त अनुदान ₹2.90 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {**परिशिष्ट—4**} के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक तेहरवें वितायोग से प्राप्त अनुदान ₹ 2,90,596 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

पैरा—11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹ 0.96 लाख के स्टाक स्टोर का क्रय करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4)व 67(5)द्वारास्टाक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट—5"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹96775.00 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया,जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टाक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्रय किए गए उक्त सामान की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टरों में नहीं की गई थी जोकिअनियमित व आपतिजनक है । अतः क्रय किए गए सामान की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में भी क्रय किए जाने वाले सामान की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में की जाए ।

पैरा–12 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

पैरा–13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम **29 से 31** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
3	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
4	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(1)
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)(ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1)(डी)
10	निर्माण कार्यो का तकनीकी रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

पैरा–14 विविध अनियमितताएः–

पैरा 14.1:– ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पदान करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई थी। अतः अनुभागी समिति का गठन न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए।

पैरा 14.2 :– ₹1.05 लाख के व्यय वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :–

चयनित माह 9/2015 के वाउचर सं0 127 व 128 जोकि क्रमशः ₹ 51367 व 53661 की राशि के थे को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। चयनित माह के वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है । इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना सं0 2 दिनांक 4.6.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत बल्देयाँ को कहा गया था सचिव ग्राम पंचयात बल्देयॉ ने मौखिक रूप से अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उक्त वाउचर सम्बन्धित पंचायत सदस्य से प्राप्त नहीं हुए हैं जिन्हें आगामी अंकेक्षण में लेखा परीक्षा को दिखाया जाऐगा। अतः उक्त वाउचरों को आगामी अंकेक्षण में दिखाना सुनिश्चित किया जाए।

पैरा–15 :– ₹0.72 लाख की संवैधानिक कटौतियॉ ठेकदारों से न करना :–

निर्माण कार्यों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रतिभुति राशि, आयकर, बिक्री कर तथा लेबर सैस की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम सं0	माह	वाउचर सं0	फर्म का नाम	भुगतान की गई राशि
1	1/15	162	मॉ नयना अर्थ मुवर्ज गांव काटाली पी0 ओ0 क्यार कोटी जिला शिमला	60000–00
2	12/15	225	विनोद कुमार शर्मा गांव काटाली पी0 ओ0 क्यार कोटी जिला शिमला	126000–00
3	12/15	232	–यथोपरि–	90400–00
4	12/15	233	श्री खेम राज गांव जगवेरा पी0ओ0 बल्देयॉ जिला शिमला	205000–00
			योग	**481400–00**
			प्रतिभुति राशि 10 प्रतिशत	48140–00
			विक्री कर 2 प्रतिशत	9628–00
			आयकर 2 प्रतिशत	9628–00
			लेबर सैस 1 प्रतिशत	4814–00
			कटौतियॉ की कुल राशि	**72210–00**

अतः ठेकेदारों के भुगतान बिलों से संवैधानिक कटौतियॉ न करने के कारण सरकारी राजस्व को हानि हुई जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में निर्माण कार्यो के भुगतान के समय सभी संवैधानिक कटौतियॉ करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए ।

लघु 16 आपति विवरणिका:— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई ।

पैरा—17 निष्कर्ष:— लेखों के रख रखाव में नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा इसमें अत्याधिक सुधार की आवश्यक्ता है ।

भवदीय

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(1)1/2016—खण्ड—1—4066—4070 दिनॉंक 16.07.2016
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, हि0प्र0।

4 वरिष्ठ महालेखाकार (स्थानीय निकाय), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला—171003

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बलदेयाँ, विकास खण्ड बलदेयाँ,, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.